मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

कार्यालय – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्पादन)

टोंस जल विद्युत् संकुल, सिरमौर, रीवा, (म. प्र .)

ईमेल- eehqthc@gmail.com CIN No. U40109MP2001SGC014882

क्र०91-84/स्था./ITI/ 1195 सिरमौर, दिनांक : 06/09/024

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आई.टी.आई. अप्रेंटिसके आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन

म.प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों से निम्नलिखित शाखाओं / व्यवसायों (ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं :-

आई. टी. आई. अप्रेंटिस

क्र०	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	इ.डब्लू.एस.	दिव्यांग	कुल योग
01.	फिटर	3	1	1	1	-------	-------	6
02.	इलेक्ट्रीशियन	4	5	3	3	2	-------	17
03.	वेल्डर	1	-------	1	-------	-------	-------	2
04.	मशीनिष्ट	2	3	1	1	1	-------	8
05.	इंस्ट्रूमेंटमेंटेनेंस	-------	-------	1		-------	------	1
06.	क्रेनऑपरेटर	1	-------	-------	1	-------	------	2
कुल		11	9	7	6	3	0	36

नोट:-

1. उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है | आन-लाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 15.10.2024 है |
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है |
3. इस वर्ष में समय–समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा|

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें :-

1. **शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – शासन के नियमानुसार सम्बंधित विषय में |**

   (अ) आई. टी. आई. अप्रेंटिस–शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ से (एस.सी.व्ही.टी. / एन.सी.व्ही.टी.) आई. टी. आई. उत्तीर्ण |

2. पात्रता -

   (अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो |

   (ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा / व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा |

3. प्रशिक्षुओ का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा नियुक्त देने की बाध्यता नहीं होगी |
4. ऑन- लाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा |
5. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी | प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंपनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उप्लाब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी |

6. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा | आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय–समय पर अपना E-Mail तथा कंपनी की वेबसाइट http://mppgcl.mp.gov.in भी देखते रहें |

7. वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण (आफर लेटर) अप्रेंटिसशिप पोर्टल https:// www.apprenticeshipindia.gov.in पर उनके अप्रेंटिस प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके E-Mail पर ही किया जावेगा | अतः आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहे तथा अपना E-Mail आवेदन करने से पहले बना लें जो कम से कम एक साल के लिए वैध हो |

8. अ.जा. / अ.ज.जा. / ओ.बी.सी. / विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा |

9. उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रद्द करने का अधिकार कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्पादन), टोंस जल विद्युत संकुल, म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर अपने पास सुरक्षित रखती है |

10. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा | रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी |

11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना सम्बन्धी बीमा करना आवश्यक होगा, जिसकी पालिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करनी होगी |

12. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पालिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध इत्यादी आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराएँ जाना आवश्यक होगा |

13. आवेदन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट http:/ /mppgcl.mp.gov.in/careers.html पर उपलब्ध है |

14. अप्रेंटिस प्रशिक्षण :-

उपरोक्त प्रशिक्षण टोन्स जल विद्युत संकुल सिरमौर के चारों विद्युत गृहों के लिये है | टोन्स जल विद्युत संकुल के चार विद्युत गृह निम्नानुसार है :-

(i) 3 X 105 मे.वा. टोन्स जल विद्युत गृह क्रमांक – एक सिरमौर

(ii) 2 X 15 मे.वा. टोन्स जल विद्युत गृह क्रमांक – दो सिलपरा

(iii) 3 X 20 मे.वा. टोन्स जल विद्युत गृह क्रमांक – तीन देवलोंद

(iv) 2 X 10 मे.वा. टोन्स जल विद्युत गृह क्रमांक – चार झिन्ना

15. आरक्षण एवं आयु में छूट :-

15.1 चयन प्रक्रिया में अनु.जाति / अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग / ई.डब्लू.एस. तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा | यदि अनु.जाति / अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जावेगा | तदोपरान्त रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा |

15.2 रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है | इसके परिणामस्वरुप विभिन्न वर्गों / श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है |

15.3 सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए | आयु की संगणना तिथि **15.10.2024** के आधार पर की जावेगी |

15.4 सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष होगी तथा अनु.जाति / अ.ज.जाति. / अ.पि.वर्ग (नॉन –क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी |

15.5 शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी |

16. चयन प्रक्रिया :-

16.1 आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी | तत्पश्चात, कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्पादन), टोंस जल विद्युत संकुल, म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई. में प्राप्त सी.जी.पी.ए. (सेमेस्टर के औसत) अंकों के प्रतिशत के आधार के अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा | समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवारों प्राथमिकता दी जावेगी |

16.2 उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है |

16.3 निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा |

17. स्टाईपेंड :-

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेंड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है :-

क्र०	आर्हता	मासिक स्टाईपेंड (रु० में)
01.	एक वर्षीय आई.टी.आई. अप्रेंटिस	7700/-
02.	दो वर्षीय आई.टी.आई. अप्रेंटिस	8050/-

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते / लाभ की पात्रता नहीं होगी |

18. चिकित्सा / स्वास्थ्य मानक :-

18.1 किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा |

18.2 दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा | 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा | जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगो हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा |

19. आवेदन कैसे करें :-

आई.टी.आई. उत्तीर्ण उम्मीदवार शासन की वेबसाइट https:// www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से दिनांक 15.10.2024 की मध्य रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाइन पद्धति से भरे जा सकते हैं | इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेगें |

- आई.टी.आई. उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया – आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल https:// www.apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं कराया है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं |

i. सर्वप्रथम कौशल विकाश एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट- https://www.apprenticeshipindia.gov.in / पर Toolbar Apprentices Candidate Registration पर click करें |

ii. आपको https://www.apprenticeshipindia.org/register/candidate link दिखाई देगी उस पर click करने से नया पेज खुल जायेगा |

iii. Toolbar में Register बटन पर click करें | "Register as candidate" विकल्प का चयन करें |

iv. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) Section में आधार नंबर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता / माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग की प्रविष्टि करें |

v. Contract Details Section में अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर एवं E-mail ID व password प्रविष्टि करें | अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर login करने के लिए इसी E-mail ID व password का प्रयोग करें |

vi. Qualification Section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्टि कर सम्बंधित प्रमाण –पत्र अपलोड करें |

vii. Preference section में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आप अपने sector/व्यवसाय (Trade) की प्राथमिकता का चयन करें |

viii. चौथे चरण (Fourth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र व स्कैंड हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर क्लिक करें |

ix. अंतिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा | Edit बटन पर click करने जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारियां सही होने पर Confirm बटन पर click करने पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें |

x. Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत आपके द्वारा Contract Detail में दिये गए E-mail ID एवं password से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर login कर सकते हैं |

xi. उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत " Establishment Search" में जाकर टोन्स जल विद्युत संकुल (म.प्र.पा.ज.कं.लि.) सिरमौर का विकल्प चुन कर संस्थान के विज्ञापन में दर्शाई गयी रिक्तियों में योग्यता अनुसार आवेदन करें |

20. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें :-

20.1 उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है |

20.2 यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नहीं करते है और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं | अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है |

20.3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्लू.एस. / दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी |

20.4 यदि उम्मीदवार अपने ऑन-लाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, Edit my profile में जाकर परिवर्तन कर सकते हैं |

20.5 विज्ञापन के आधार पर किये गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथासंसोधित) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा |

20.6 उम्मीदवार चयन हेतु कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्पादन), टोंस जल विद्युत संकुल, म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर द्वारा बनाये गए एवं भविष्य में बनाये जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे |

20.7 शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस एक्ट के तहत 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश, 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश स्टाईपेंड भुगतान सहित एवं 10 दिवस के ई.ओ.एल. अवकाश की पात्रता परिस्थिति अनुसार स्टाईपेंड सहित अथवा बिना स्टाईपेंड के होगी | साथ ही साप्ताहिक अवकाश भी देय होगा |

20.8 दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा |

20.9 कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्पादन), टोंस जल विद्युत संकुल, म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताये, चयन प्रक्रिया रद्द करने / सीमित करने / बढ़ाने का अधिकार होगा |

20.10 चयन न होने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूँछतांछ स्वीकार नहीं की जाएगी |

20.11 उम्मीदवार ध्यान रखे कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं | प्रशिक्षण के उपरांत कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्पादन), टोंस जल विद्युत संकुल, म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई विचार किया जायेगा

20.12 शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 2 (1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा |

(एस. डी. उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्पादन)
टोंस जल विद्युत संकुल,
म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर

Annexure-I

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

The medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz.), not below the rank of Assistant Surgeon of Central/State Hospitals.

1. Name (In Block Letters)..S/D of ....
2. Age..............................Hight..............................Weight..............................Chest Expansion..................................
3. Vision in each Eyes:-..
4. Hearing in both Ears...
5. Skin (whether any evidence of acute or chronic skin disease of chronic ulceration)

   ....
6. Alimentary System (a) Sugar in Urine.........................(b) Hernia/Hydrocele/Piles..................................

   (c) Remark, if any other disorder found...
7. Speech...
8. Cardio Vasular System (a) Blood Pressure............................,(b) Remark, if any other disease found.
9. Respiratory System..
10. Genito Urinary System...
11. Skeltal System...
12. Nervous System..
13. Glandular System (whether any evidence of tuberculosis/ or other disease of glandular system including endocirine glands...

I certify that I have examined Mr/Ms...

Son/Doughter of .... The standard of physical fitness has been checked as per SCHEDULE-II (Rule-4) of apprentices Rule 1992. He/She is physically fit for being enganged as an apprentices in a Trade.. under the Apprentices Act 1961.

Signature of Candidate

Signature of Medical Officer
With legible seal